छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा
बारहवां सत्र

श्री शेखर दत्त

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 18 फरवरी, 2013

माननीय सदस्यगण,

1. नव–वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस प्रथम सत्र के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। संसदीय लोकतंत्र में इस संस्था तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जनता के सपने पूरे करने की अहम जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सजगता के साथ कर रहे हैं। आपके सम्मिलित प्रयासों से छत्तीसगढ़ ने विकास के नए–नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मेरी कामना है कि राज्य की विकास–यात्रा निरंतर जारी रहे।

2. 'गांव, गरीब और किसान' को प्राथमिकता देने की रणनीति पर कायम रहते हुए मेरी सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि एक प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण सुविधा, निःशुल्क बिजली, बलराम कृषि यांत्रिकीकरण योजना, शाकम्भरी योजना, किसान समृद्धि योजना जैसी तमाम योजनाओं का भरपूर लाभ किसानों को मिला है। राज्य में नई **'कृषि नीति'** घोषित कर दी गई है। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी मेरी सरकार ने कृषकों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए धान खरीदी सुनिश्चित की है और अब तक 68 लाख टन से अधिक धान समर्थन मूल्य पर खरीदकर किसानों को 8 हजार 574 करोड़ रूपए का भुगतान किया है।

3. विगत वर्ष मेरी सरकार ने राज्य का प्रथम कृषि बजट प्रस्तुत करते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें प्रारंभ की हैं। राज्य में कृषि महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाकर 10 तक पहुंचा दी गई है। कृषि लागत में कमी के विभिन्न प्रयासों के साथ ही किसानों को ऋण माफी का लाभ भी दिया गया है। वर्ष 1991 से 1997 के मध्य के अल्पकालीन ऋण के बकायादार 47 हजार किसानों के 28 करोड़ रूपए के ऋण माफ किए गए हैं। सिंचाई हेतु 48 करोड़ रूपए का 'आ–सुधार अंशदान' समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के 12 लाख 32 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं।

4. राज्य में कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने नई **'मछुआ नीति'** घोषित की है, जिसका लाभ दो लाख से अधिक मछुआ–परिवारों को मिलेगा। इसी प्रकार **'छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ'** के गठन से दुग्ध उत्पादकों को भी नई सुविधाएं मिलेंगी।

5. राज्य में वनों के संरक्षण और विकास में जन–समुदायों की भागीदारी बढ़ाते हुए लगभग 8 हजार संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी हैं। कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ में संयुक्त वन प्रबंध समिति का हिस्सा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा विदोहन बांस में समितियों का हिस्सा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जा रहा है। लगभग 11 सौ वनरक्षकों की सीधी भर्ती की गई है, जिनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है।

6. वनोपज का लाभ वनवासियों को देने के मामले में मेरी सरकार की तेंदूपत्ता संग्रहण नीति सफलता की एक मिसाल बन गई है। विगत एक वर्ष में 188 करोड़ रूपए की संग्रहण मजदूरी और 155 करोड़ रूपए बोनस वितरण करने के अलावा संग्राहकों को निःशुल्क चरण पादुका, जनश्री बीमा, समूह बीमा जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। विगत एक वर्ष में संग्राहक परिवारों के बच्चों को लगभग 9 करोड़ रूपए की छात्रवृत्ति दी गई है।

7. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर की बसाहटों तक एकीकृत बाल विकास सेवाओं के विस्तार हेतु 43 हजार 763 आंगनवाड़ी एवं 6 हजार 548 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। दुर्गम क्षेत्रों की विरल बसाहटों को भी इन सेवाओं का लाभ देने के लिए 285 **'फुलवारी'** केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चों , गर्भवती माताओं एवं शिशुवती माताओं को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जाकर इन्हें पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

8. मेरी सरकार महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए संकल्पित है। महिलाओं तथा बालिकाओं की आवासीय संस्थाओं के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं एवं इनके लिये निगरानी समितियां बनायी जा रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए '1091' हेल्पलाइन' प्रारंभ की जा रही है। 'एकीकृत बाल संरक्षण योजना' के अंतर्गत राज्य के 6 शहरों में 'चाइल्ड लाइन 1098' की सेवायें प्रारंभ कर दी गई हैं।

9. 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के तहत प्रति कन्या सहायता राशि को 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए कर दिया गया है। अब तक 42 हजार से अधिक बेटियों को इस योजना का लाभ मिला है।

10. मेरी सरकार ने राज्य की खनिज सम्पदा के युक्तियुक्त दोहन और उससे लोक कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में नई पहल करते हुए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के बीच कबीरधाम जिले में स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति पर संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु करार किया है, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। 'सेल' द्वारा कबीरधाम जिले के विकास के लिए रेल सुविधा, अस्पताल, पैलाटाइजेशन प्लांट तथा उच्च तकनीकी कॉलेज खोलने जैसा योगदान दिया जाएगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम एवं हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ भी राज्य में कॉपर, बेस मेटल तथा अन्य खनिजों की खोज के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु करार किया गया है।

11. संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल को प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की समिति से टिन अयस्क, टेन्टेलम और नियोबियम संग्रहण का विशेष कानूनी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा इन खनिजों की खरीदी की जाएगी, जिससे स्थानीय आदिवासियों को उनकी मेहनत का समुचित प्रतिफल मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

12. मेरी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण तथा पर्याप्त पेयजल प्रदान करने की दिशा में सतत् कार्यरत है। जिन स्थानों में आयरन, फ्लोराइड तथा खारेपन की समस्या है, उन सभी लगभग 9 हजार बसाहटों को 2 वर्ष के भीतर समस्यामुक्त करने की कार्ययोजना अमल में लाई जा रही है। गांवों में नल–जल योजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह शहरी क्षेत्रों में 70 से 150 लीटर प्रति व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

13. मेरी सरकार ने त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए पृथक से **'पंचायत संचालनालय'** गठित कर दिया है। ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं। जनपद पंचायत मुख्यालयों में **'सरपंच सदन'** का निर्माण कराया जा रहा है। अपने क्षेत्राधिकार की ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हेतु जनपद पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए **'मुख्यमंत्री जनपद सशक्तीकरण योजना'** प्रारंभ की गई है।, जिसके तहत प्रत्येक जनपद पंचायत को अनाबद्ध निधि के रूप में प्रति वर्ष एक–एक करोड़ रूपए उपलब्ध कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।

14. ग्रामीण अंचल में अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने के लिए इस वर्ष मेरी सरकार ने 'छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण' का गठन कर प्रथम वर्ष में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' से वंचित बसाहटों के लिए **'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना'** प्रारंभ कर 3 हजार 630 किलोमीटर लम्बाई की 1 हजार 70 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। गांवों की गलियों को कीचड़ और गंदगी से बचाने के लिए **'मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना'** के तहत् 2 हजार गांवों में 788 किलोमीटर की मंजूरी भी दी गई है।

15. यह राज्य के लिए गौरव का विषय है कि 'महात्मा गांधी नरेगा' योजना के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों को विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है। इस वर्ष भी जिला कांकेर तथा राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत गातापार को यह सम्मान मिला है। मेरी सरकार ने इस साल 1 हजार 436 करोड़ रूपए के व्यय से 833 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया है। इस तरह लगभग 24 लाख 80 हजार परिवारों की आजीविका का इंतजाम किया गया है।

16. मेरी सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत अब कक्षा पहली से दसवीं तक समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, शासकीय शालाओं के साथ–साथ अनुदान प्राप्त शालाओं में भी कक्षा नवमी में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को निःशुल्क सायकलें दी जा रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की सुविधा देने से बच्चों की दर्ज संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

17. मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में शाला त्याग कर 7 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गई है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजित की गई, जिसमें 76 हजार उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए 10 हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

18. मेरी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अवसर राज्य के सभी हिस्सों में समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 9 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं, जिनमें से 4 महाविद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं। सरगुजा एवं बस्तर विश्वविद्यालय के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति दे दी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत 'हिन्द स्वराज पीठ' की स्थापना की गई है।

19. राज्य के निर्धन छात्रों एवं निम्न आय वाले परिवार के युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज ऋण अनुदान योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रूपए तक वार्षिक आय वाले पालकों के बच्चों को शिक्षा ऋण लेने पर मोराटोरियम अवधि के उपरांत भी ब्याज राशि में से केवल 4 प्रतिशत ब्याज की अदायगी करनी होगी, शेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। मानव संसाधन के विकास के लिये भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, खड़गपुर तथा आई.आई.एम. रायपुर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल विकास के अवसर उपलब्ध होंगे। व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार लिये इस वर्ष 10 नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किये गये हैं। विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं रूचि बढ़ाने के लिए प्रदेश का पहला रीजनल साइंस सेंटर, सड्डू, रायपुर में प्रांरभ किया गया है। "छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन" के अंतर्गत इस वर्ष 25 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

20. अधोसंरचना विकास की दिशा में इस वर्ष 1 हजार 190 किलोमीटर राज्य, जिला एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। 35 वृहद पुलों एवं 10 मध्यम पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 148 वृहद पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। एशियन डेव्हलपमेंट बैंक परियोजना के अंतर्गत 2 हजार 350 करोड़ रूपए की लागत से 916 किलोमीटर लंबी 15 सड़कों का निर्माण किया जायेगा। इस वर्ष नाबार्ड योजना के अंतर्गत 299 करोड़ रूपए की लागत से 1 हजार 578 किलोमीटर की 411 सड़कों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

21. इस वर्ष अब तक 158 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है और 328 भवनों का कार्य प्रगति पर है। महत्वपूर्ण भवनों में कोरबा में आई.टी. कॉलेज, ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ भवन

नई दिल्ली का जीर्णोद्धार, प्रशासन अकादमी रायपुर, जिला कार्यालय नारायणपुर, कम्पोजिट कार्यालय,बीजापुर आदि पूर्ण किए जा चुके हैं। जगदलपुर व रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज भवन, बिलासपुर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र, कांकेर में जंगल वारफेयर कॉलेज, रायपुर में नवीन इंजीनियरिंग कॉलेज भवन, मैनपाट में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, अंबिकापुर में सैनिक स्कूल, जांजगीर में पॉलीटेक्निक भवन आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

22. मेरी सरकार ने अभिनव पहल कर **"छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012"** लागू किया है और इस मामले में छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य बन गया है। इस अधिनियम के माध्यम से प्रदेशवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य आधारित जनकल्याणकारी शासकीय योजनाओं में खाद्य सामग्री प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। इस कानून से राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी। खाद्य सुरक्षा के समुचित उपायों के साथ अब प्रदेश पोषण सुरक्षा की ओर भी अग्रसर है। नए अधिनियम में सभी 85 अनुसूचित विकासखंडों में गरीब परिवारों को रियायती दर पर प्रतिमाह 2 किलो चना और गैर–अनुसूचित 61 विकासखंडों के गरीब परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो दाल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से परिवार की वरिष्ठतम महिला के नाम से राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है।

23. विगत वर्ष मैंने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में **"कोर पीडीएस–मेरी मर्जी"** योजना का जिक्र किया था। मेरी सरकार ने इस वर्ष रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव शहर तथा महासमुंद विकासखण्ड की 333 राशन दुकानों में यह योजना लागू कर दी है। इस योजना के जरिए उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण किया गया है एवं हितग्राही अपनी पसंद की दुकान से सुविधा अनुसार राशन प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर के 2 पुरस्कार प्राप्त होना गौरव का विषय है।

24. मेरी सरकार ने **"मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना"** प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जीवनकाल में एक बार देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा कराने का प्रावधान है। योजना के प्रथम वर्ष में 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ कराने का लक्ष्य रखा गया है। 15 जनवरी, 2013 से प्रारंभ इस योजना का लाभ अब तक लगभग 7 हजार वरिष्ठ नागरिकों को मिला है।

25. राज्य गठन के समय प्रदेश की कुल निर्मित सिंचाई क्षमता 13 लाख 28 हजार हेक्टेयर थी। मार्च, 2012 तक कुल 5 लाख 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई। वर्ष 2012–13 में 50 हजार 300 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 595 एनीकट के निर्माण की कार्य योजना है, जिसमें से 160 का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं 128 निर्माणाधीन हैं। अरपा भैंसाझार वृहद सिंचाई परियोजना बैराज निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जा रहा है।

26. मेरी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में नई आशा का संचार करते हुए 'छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' के माध्यम से 42 प्रकार के 3 लाख 65 हजार श्रमिकों का पंजीयन किया है। अब तक लगभग 2 लाख 37 हजार मजदूरों को 19 येाजनाओं के तहत 45 करोड़ रूपए का लाभ मिला है। इसी प्रकार 'छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल' द्वारा भी 50 प्रकार के काम करने वाले 3 लाख 75 हजार कर्मकारों को पंजीयन किया गया है तथा 6 योजनाओं के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

27. राज्य शासन द्वारा नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष 'ऑटोमोटिव उद्योग नीति', 'कृषि एंव खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति', 'सूचना प्रोद्योगिकी नीति' और 'नवकरणीय ऊर्जा नीति' लागू की गई है। राज्य गठन के बाद प्रथम बार आयोजित "ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट" को नॉन कोर सेक्टर्स पर केन्द्रित किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात उद्योगपति एवं विदेशी प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। इस आयोजन के दौरान कुल 272 एमओयू एवं ईओआई हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें कुल 1 लाख 23 हजार 953 करोड़ रूपए का निवेश प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र बोरई में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का बढ़ावा देने के लिये 100 करोड़ रूपए की लागत से 'टूल–रूम' की स्थापना हेतु 25 एकड़ भूमि विकास आयुक्त, भारत सरकार को आवंटित कर दी गई है।

28. प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन एवं कर जमा करने में वाहन मालिकों एवं आम जनता के समय व श्रम की बचत हो रही है। प्रमुख शहरों में सिटी बस सेवा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। राजधानी में यात्रियों को त्वरित यातायात सेवा उपलब्ध कराने हेतु 'रेडियो मोटर कैब सेवा' शुरू की गई है।

29. मेरी सरकार ने आबकारी नीति में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए आंशिक मद्य निषेध लागू कर प्रदेश में 'शराब व्यसन मुक्त अभियान' चलाया है, जिसके तहत अभी तक 35 विकासखंण्डों के 213 ग्रामों में 'भारत माता वाहिनी' का गठन किया जा चुका है। ढाई हजार तक की आबादी वाली बसाहटों, 'गौरव ग्रामों' में स्थित एवं स्थानीय मांग के अनुसार 343 मदिरा दुकानों को बंद कर दिया गया है।

30. मेरी सरकार ने राज्य में नागरिक उड्डयन की भावी कार्ययोजना बनाई है। बिलासपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर में महानिदेशक नागरिक उड्डयन के मापदण्डों के अनुरूप विमानतल अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये शहर भविष्य में हवाई सेवओं से जुड़ सकेंगे।

31. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु स्थानीय निवासी आवेदकों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है संविदा पर नियुक्त अधिकारियों–कर्मचारियों को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु

सीमा में बंधनकारी 38 वर्ष के अंतर्गत रहते हुए उतने वर्ष की छूट दी गई है जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। मेरी सरकार ने नया संविदा नियुक्ति नियम भी लागू कर दिया है।

32. ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये समग्र हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत बुनाई प्रशिक्षण उपकरण तथा उत्पादों के विपणन की सुविधाओं में विस्तार किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ हाट में कलाकृति संग्रहालय तथा केन्द्रीय भंडार, हस्तशिल्प ग्रामीण डिजाईन विकास संस्थान, कोण्डागांव में क्राफ्ट सिटी, शिल्पी प्रतिस्पर्धा–एवार्ड योजना, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन जैसे प्रयासों का लाभ परम्परागत रोजगार से जुड़े लाखों परिवारों को मिलेगा।

33. मेरी सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिये राजिम, तरीघाट और डमरू में भी पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। बहुआयामी संस्कृति संस्थान के विकास हेतु 10 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है। पर्यटन स्थल में अधोसंरचना के विकास के साथ ही 11 विशेष स्थानों का चयन कर, स्थानीय बेरोजगार युवकों को गाईड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के बहुआयामी 121 पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। पुरामहत्व के स्थानों पर आयोजित होने वाले लोक महोत्सवों को वृहद स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके तहत् सिरपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य की पर्यटन नीति के अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करते हुए 3 हजार 500 करोड़ रूपये एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं।

34. मेरी सरकार के योजनाबद्ध प्रयासों से राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जिसके कारण छत्तीसगढ़ को 'ऊर्जा धुरी' की प्रतिष्ठा मिलने लगी है। देशव्यापी ऊर्जा संकट के दौर में अन्य प्रदेशों को मदद करने के कारण छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित होने के नये अवसर भी मिले हैं। कोरबा में निर्माणाधीन 500 मेगावॉट की विस्तार इकाई को मार्च, 2013 में तथा मड़वा ताप विद्युत परियोजना की 500–500 मेगावॉट की दो इकाइयों को शीघ्र प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 936 करोड़ रूपये की लागत से आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना प्रारंभ की गई है। योजना की पूर्णता पर 22 शहरों की विद्युत वितरण प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मॉनीटरिंग लागू कर वितरण हानि को कम कर 15 प्रतिशत तक लाने की योजना है। इसके साथ ही राज्य में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार तथा विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत बिलों के भुगतान हेतु एटीएम, ई–बैंकिग तथा 68 शहरों में स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने हेतु विगत एक वर्ष में, देश में सर्वाधिक, 15 मेगावाट क्षमता के सौर रूफ टॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

35. मेरी सरकार के विशेष प्रयास से प्रदेश सभी 56 लाख से अधिक परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाकर उन्हें प्रतिवर्ष 30 हजार तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये इस वर्ष पी.पी.पी. नीति लागू की गई है, जिससे शासकीय अस्पतालों में सेवाओं को विस्तार किया जा सके। राज्य के सभी जिलों में 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ कर दी गई है साथ ही 30 मोबाईल मेडिकल यूनिट भी चलाई जा रही है। शहरी मलिन बस्तियों में गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 11 नगर क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया है।

36. मेरी सरकार ने राज्य के गौरव के प्रतीक नया रायपुर में नये मंत्रालय भवन का निर्माण कर माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से इसका लोकार्पण कराया है। नया रायपुर को 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजित एवं व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटित भूखण्डों तथा भवनों को फ्री होल्ड के रूप में संपरिवर्तन करने का महत्वपूर्ण लिया गया है, जिससे पट्टधारियों का भूस्वामी होने का सपना साकार होगा।

37. मेरी सरकार के द्वारा न्यायदान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये इस वर्ष 20 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई है। हाल ही में मेगा लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया, जिसमें करीब 3 लाख प्रकरण हल हुए, लगभग 3 लाख, 20 बीस हजार लोग लाभान्वित हुए तथा लगभग 54 करोड़ 42 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया गया।

38. मेरी सरकार की दूरगामी सोच तथा सशक्त कार्ययोजना के फलस्वरूप राज्य के आदिवासी बहुल उत्तर क्षेत्र में नई रेल सुविधाओं का विकास संभव होगा। राज्य शासन के नये मॉडल को न सिर्फ देश के अन्य राज्यों की सराहना मिली है, बल्कि एक वर्ष के भीतर तीन में से दो कॉरीडोर निर्माण की योजना को केन्द्र की मंजूरी भी प्राप्त हो गई है। इससे रेल यात्री सेवाओं एवं परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा।

39. सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ राज्य के हर तबके को दिलाने की दिशा में मेरी सरकार ने चहुंमुखी प्रयास किये हैं। इसे प्रशासनिक पहुंच और पारदर्शिता का माध्यम बनाया गया है। इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलेवरी गेटवे इसी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रक्रिया प्रारंभ करने की दिशा में 25 विभागों के 80 लाख से अधिक दस्तावेजों की स्केनिंग कर ली गई है एवं यह कार्य निरंतर जारी है।

40. मेरी सरकार ने प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हेतु विगत वर्ष 9 नये जिलों का गठन किया गया था। इन जिलों में प्रशासनिक इकाईयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, साथ ही इन सभी जिलों में संयुक्त प्रशासनिक भवन बनाने के लिये 12–12 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

41. मेरी सरकार द्वारा प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिये ग्राम सुराज अभियान की तरह इस वर्ष नगर सुराज अभियान भी संचालित किया गया। इन अभियानों के अंतर्गत दलों का गठन कर आम जनता की मांगों, समस्याओं और सुझावों पर अमल करने एवं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का आंकलन करने का बेहतर अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है कि इन अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है।

42. सरकारी विभागों को आम जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाने और जनता को विभिन्न सेवाएं निर्धारित समयसीमा में सुगमता से प्रदाय करने के लिये मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम –2011 लागू कर दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस अधिनियम के दायरे में विभिन्न विभागों की 251 लोक सेवाओं को लाया गया है।

43. राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये सकारात्क वातावरण बनाया जा रहा है जिससे नवोदित प्रतिभाएं उभरकर सामने आयें। इसके लिये ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सर्वसुविधायुक्त खेल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

44. नक्सल प्रभावित जिलों के मेधावी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिये मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना लागू की गई, इसके अंतर्गत रायपुर में स्थापित प्रयास आवासीय विद्यालय में 2 वर्ष शिक्षित –प्रशिक्षित होने वाले 251 में 170 बच्चे 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तथा इनमें से कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों प्रवेश परीक्षा में सफल होकर अध्ययनरत् है।

45. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति सुगमता से देने के लिये आन लाइन शिक्षा संगी छात्रवृत्ति कार्ड योजना प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से वे सुविधानुसार कभी भी किसी भी एटीएम से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर सकते हैं।

46. मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम के तहत् राज्य में लगभग 2 लाख, 44 हजार वन अधिकार पत्रों के माध्यम से करीब 2 लाख 17 हजार हेक्टेयर भूमि का वितरण कर देश के अग्रणी दो राज्यों में स्थान बनाया है। इन अधिकार पत्रधारियों को भूमि विकास सहित कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी प्रकार सामुदायिक प्रयोजनों के लिये 1 हजार 413 वन अधिकार पत्र भी वितरित किये हैं।

47. सरगुजा एवं बस्तर संभाग के जिलों में रिक्त पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती हेतु संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत् मैने सरकार को निर्देश दिया था । मुझे खुशी है कि इस प्रक्रिया से लगभग 3 हजार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है एवं कार्यवाही आगे भी जारी है।

48. प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था कायम रखने में सबसे बड़ा योगदान इस प्रदेश की शांतिप्रिय जनता का है इस शांतिपूर्ण माहौल को अशांत करने का प्रयास करने वाले लोकतंत्र एवं भारत के संविधान विरोधी तत्वों के खिलाफ मेरी सरकार ने प्रभावी कार्यवाही कर लोक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा है। पुलिस प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिये इस वर्ष 3 हजार 500 नये पद निर्माण की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में 13 जिलों में पृथक अजाक थाने तथा 14 जिलों में अजाक प्रकोष्ठ स्थापित हैं। पुलिस के साथ–साथ नगरसेना के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इनके मानवेतन एवं भोजन राशि में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश की जिलों में बंदियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये कम्प्यूटरीकरण, सी.सी.टी.वी. की स्थापना तथा कुछ जेलों में विडियो कॉन्फरेन्सिंग की व्यवस्था की जा रही है।

49. मैने छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों प्रवास के दौरान देखा है कि यहां की जनता के मन में शांति के साथ–साथ विकास की तीव्र इच्छा शक्ति है। मेरी सरकार आम जनता के सपनों को साकार करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है, इससे राज्य के सभी क्षेत्रों में समता तथा समरसता के साथ प्रगति होती दिख रही है। यह मेरी कामना ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप सभी सदस्यों के सामुहिक प्रयासों से सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास होगा तथा सबके योगदान से छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

जय हिन्द । जय छत्तीसगढ़ ।